हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

षष्टम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 50

बुधवार, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण,1941 (शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्नकाल आरंभ होने की घोषणा करने से पहले ही श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने हाथ उठाकर अपना विषय रखने की अनुमति मांगी। माननीय अध्यक्ष ने अनुमति प्रदान की। श्री मुकेश अग्निहोत्री ने नियम-67 के अन्तर्गत चर्चा हेतु दिए नोटिस का हवाला देते हुए कहा कि माननीय मुख्य मंत्री ने इस विषय में जांच के आदेश दिए हैं लेकिन पुलिस जांच के दौरान पुलिस अधीक्षक, ऊना को वहां से बदलने की बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक दल पूरी तरह से सभी प्रकार के माफिया के खिलाफ़ है इसलिए सरकार कांग्रेस विधायक दल को माफिया से जोड़ने का प्रयास न करे।

मुख्य मंत्री ने स्थित स्पष्ट करते हुए कहा कि पिछले कल जब उन्होंने इस विषय पर अपनी बात सदन में रखी थी उस समय कांग्रेस विधायक दल सदन में नहीं था इसलिए उनकी बात सही तरीके से नहीं समझी गई। मुख्य मंत्री ने कहा कि सत्तापक्ष व विपक्ष दोनों को मिलकर माफ़िया के खिलाफ़ आवाज उठानी होगी।

सरकार सभी प्रकार के माफ़िया के खिलाफ़ कार्रवाई करने के लिए कृत संकल्प है। मुख्य मंत्री ने कहा कि सरकार विधायक के संस्थान को मजबूत करने के पक्ष में है। ऊना प्रकरण की जांच में पुलिस अधीक्षक की कोई भूमिका नहीं रखी गई है क्योंकि जांच आई.जी.रैंक के वरिष्ठ अधिकारी के अधीन सी.आई.डी. द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की पुलिस अधीक्षक को हटाने की मांग का अब कोई औचित्य नहीं है क्योंकि पुलिस अधीक्षक, ऊना जांच की अवधि के दौरान प्रशिक्षण हेतु प्रदेश से बाहर रहेंगे।

कांग्रेस विधायक दल मुख्य मंत्री के उत्तर से संतुष्ट हुआ।

माननीय अध्यक्ष ने सत्तापक्ष एवं विपक्ष द्वारा मामले को अच्छे से सुलझाने की प्रशंसा की।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्याः 837 तथा तारांकित प्रश्न संख्याः 1221 से 1223 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए।

अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखत व्यवस्था दी-

"आगे से जो भी तारांकित प्रश्न चर्चा में आएंगे उनमें प्रश्नकर्ता को दो बार अनुपूरक प्रश्न (supplementaries) पूछने की इजाज़त दी जाएगी। फिर उस प्रश्न पर केवल दो अन्य माननीय सदस्यों को ही अनुपूरक प्रश्न (supplementaries) पूछने की अनुमति मिलेगी ताकि प्रश्नकाल के दौरान ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लगाए जा सकें।"

तारांकित प्रश्न संख्याः 1224 व 1225 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उनके उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 1226 से 1281 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 317 व 335 (स्थगित) तथा 318 से 336 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं उप सचिव (निर्वाचन), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्याः 5-36/2017-ईएलएन.1330 दिनांक 27.03.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.03.2019 को प्रकाशित; और

(ii) अकादमी की संविधान की धारा-21 के अन्तर्गत हिमाचल कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 (01-04.2017 से 31.03.2018) तथा वर्ष 2016-18(01-04.2016 से 31.03.2018)।

(2) **श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, मत्स्य अधिकारी, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्याः फिश-ए(3)-1/2014 दिनांक 01.06.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.06.2019 को प्रकाशित हुए हैं, की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्री राकेश पठानिया, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2019-20)** ने समिति का 15वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 68वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन

एवं विधायन निगम सीमित से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(2) **श्री सुख राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2019-20)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का 16वां मूल प्रतिवेदन(तेरहवीं विधान सभा) जोकि महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अन्तर्गत "नारी सेवा सदन के उत्थान" की संवीक्षा पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का 17वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 10वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है।

(3) **श्री बलबीर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2019-20)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का 14वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 23वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के 18वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2009-10) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 21वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित है।

(4) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2019-20)** ने समिति का 12वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 28वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में

अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा वन विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री नरेन्द्र बरागटा, सदस्य ने नियम-62 के अन्तर्गत "**प्रदेश में बागवानों को टैलीस्कोपिक कार्टन से हो रही हानि तथा यूनिवर्सल कार्टन की समय पर आपूर्ति न होने**" से उत्पन्न स्थिति की ओर सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करते हुए चर्चा की।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(01.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की गई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त सदन की बैठक 02.05 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

5. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री हर्षवर्धन चौहान, सदस्य ने नियम-130 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की -

"प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे।"

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि चूंकि श्री विनोद कुमार, सदस्य द्वारा नियम-130 के अन्तर्गत दिया गया प्रस्ताव "**हिमाचल पथ परिवहन निगम की कार्यप्रणाली एवं वित्तीय स्थिति में सुधार लाने बारे यह सदन विचार करे**" भी इसी विषय से संबंधित है, इसलिए उनका प्रस्ताव भी प्रस्तुत हुआ समझा जाएगा और वह भी चर्चा में भाग लेते हुए अपना विषय रख सकते हैं।

(2.15 बजे अपराह्न माननीय उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री सुरेन्द्र शौरी
2. श्री राकेश जम्वाल
3. श्री विनोद कुमार
4. श्री राकेश पठानिया
5. श्री जगत सिंह नेगी
6. श्री होशयार सिंह
7. श्री बलबीर सिंह वर्मा
8. श्री राजेन्द्र राणा
9. श्री मोहन लाल ब्राक्टा
10. श्री लखविन्द्रर सिंह राणा
11. श्री प्रकाश राणा
12. श्री राम लाल ठाकुर
13. श्री विक्रमादित्य सिंह
14. श्री अरुण कुमार

वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(4.05 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष ने वन मंत्री के उत्तर पर श्री हर्षवर्धन चौहान के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति प्रदान की।

वन मंत्री ने श्री हर्षवर्धन चौहान की बात का उत्तर दिया।

अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी-

"विधान सभा सचिवालय की ओर से अब तक प्रतिदिन एक फाइल सभी माननीय सदस्यों को दी जाती रही है जिसमें मुद्रित प्रश्न व उस दिन की कार्यसूची होती है। अगर माननीय सदस्यों को स्वीकार हो तो कल दिनांकः 22.08.2019 से प्रश्नों व कार्यसूची संबंधी यह फाइल देना बन्द कर दिया जाएगा।"

सभी सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था को स्वीकार किया।

शिक्षा मंत्री (संसदीय कार्यकारी मंत्री) ने कहा कि अगर सदन में किसी सदस्य को कार्यसूची एवं प्रश्नों की हार्ड कॉपी की आवश्यकता महसूस हो तो उन्हें उपलब्ध करवा दी जाए।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि यह कागज़ात हार्ड कॉपी के रूप में सभापटल पर उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ ही माननीय सदस्यों को लैपटॉप पर कागजातों को शीघ्र उपलब्ध करवाने में सहायता करने के लिए 4-5 तकनीकी सहायक भी सदन के भीतर उपलब्ध रहेंगे।

श्री नरेन्द्र ठाकुर, सदस्य ने नियम-130 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की -

> **"सरकार द्वारा चलाई जा रही 'हिम केयर' व 'सहारा' योजनाओं पर यह सदन विचार करे।"**

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि इस विषय पर चर्चा हेतु सर्वश्री विक्रम सिंह जरयाल, राजिन्द्र गर्ग, परमजीत सिंह व जीत राम कटवाल, सदस्यों ने चर्चा में भाग लेने हेतु अपने नाम दिए हैं इसलिए यह चर्चा नियम-130 के अन्तर्गत सूचीबद्ध विषयों के लिए निर्धारित किसी अन्य दिवस पर जारी रखी जाएगी।

04.48 बजे अपराह्न सदन की बैठक वीरवार, 22 अगस्त, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।